न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–6, लखीमपुर–खीरी।
उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।
सत्र परीक्षण संख्या–36/2012
कम्प्यूटर पंजीयन नं०–240036/2012
CNR UPLP01–003162–2012

उ०प्र० राज्य **----------अभियोजनपक्ष।**

बनाम

1–लेखराम पुत्र सन्तराम निवासी झाऊपुर थाना हैदराबाद जिला खीरी।
2–ओम प्रकाश पुत्र हंसराम निवासी झाऊपुर थाना हैदराबाद जिला खीरी।

-----------अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–884/2011
धारा–304/34, 326/34 भा०दं०सं०,
थाना–हैदराबाद,
जिला–लखीमपुर–खीरी।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या–36/2012, मु०अ०संख्या–884/2011, अभियुक्तगण लेखराम व ओम प्रकाश के विरूद्ध पुलिस थाना–हैदराबाद, जिला लखीमपुर–खीरी द्वारा आरोप पत्र धारा–304,326 भा०दं०सं० के अन्तर्गत परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाने तथा दिनांक 07–01–2012 को विद्वान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर–खीरी द्वारा विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर परीक्षित किया गया।

2. अभियोजनपक्ष के अनुसार, वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 30–06–2011 को समय 02:30 बजे थाना–हैदराबाद में प्रस्तुत तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 दर्ज हुई। संक्षेप में, अभियोजन कथानक के अनुसार, "प्रार्थिनी शिवानी पत्नी कालीचरन कुर्मी निवासी झाऊपुर थाना हैदराबाद जिला खीरी की निवासिनी है। कुछ दिन पहले मेरे गांव के रामचरन की औरत का पायल खो गया था, उसी का उलाहना लेकर मेरे घर आयी और कहा कि तुम्हीं ने मेरा पायल लिया है। इस बात को लेकर मुझसे कुछ कहासुनी हो गयी थी। आज दिनांक 30–06–11 को समय लगभग 12:05 बजे रात को मेरे गांव के लेखराम पुत्र सन्तराम सक्सेना व ओमप्रकाश पुत्र हंसराम आये। मेरे पति कालीचरन घर के बाहर चारपाई पर लेटे थे, उपरोक्त दोनों व्यक्ति और लेखराम ने अपने हाथ में लिये हुए प्लास्टिक की पिपिया में तेजाब मेरे पति के ऊपर डाल दिया। जब मेरा पति चिल्लाया, तो मैं घर से निकली, तो देखा कि लेखराम मेरे पति पर पपिया से तेजाब डाल रहा था। ओमप्रकाश लाठी लिये हुए खड़ा था। मेरे चिल्लाने पर दोनों व्यक्ति भाग गये, फिर गांव के बहुत लोग आ गये। मेरे पति का चेहरा व शरीर तेजाब से बुरी तरह जल गये है।"

3. वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना हैदराबाद, जिला लखीमपुर–खीरी पर दिनांक 30–06–2011 को समय 02:30 बजे मु०अ०सं०–884/2011, अन्तर्गत धारा–326 भा०दं०सं० विरूद्ध अभियुक्तगण लेखराम व ओम प्रकाश पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण लेखराम व ओम प्रकाश के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–304, 326 भा०दं०सं० विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर–खीरी द्वारा संज्ञान लेकर अभियुक्तगण को तलब किया गया।

4. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर–खीरी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाये जाने पर सत्र सुपुर्द किया गया।

5. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुनने के उपरान्त दिनांक 08–06–2012 को अभियुक्तगण लेखराम व ओम प्रकाश को

धारा–304/34, 326/34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में मौखिक व प्रस्तुत अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया।

7. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 01–06–2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक तथा साक्षी पी०डब्लू०–5, 6 व 7 के बयानों को गलत होना, साक्षी पी०डब्लू०–2 ता 4 के बयानों के सम्बन्ध में 'कुछ नहीं' कहने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलना कहते हुए अतिरिक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा ग्रामीण दलबन्दी के कारम फर्जी फंसाया दिया जाना कहा गया है।

8. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। उनके द्वारा सफाई साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं०–28 ख के माध्यम से थानाध्यक्ष थाना हैदराबाद को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांकित 29–06–11 व 30–06–2011 की नोटरी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति दाखिल की गयी है, परन्तु जो साक्ष्य मे ग्राह्य नहीं है।

9. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सविस्तार सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

10. अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 03–06–2011 को समय 12:05 बजे रात स्थान वादिनी का दरवाजा बहद ग्राम झाउपुर, थाना हैदराबाद, जिला खीरी में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी मुकदमा शिवानी के पति कालीचरन के ऊपर तेजाब डालकर जलाकर घोर उपहति कारित की, जिसके फलस्वरूप गम्भीर रूप से जलने के कारण दौरान इलाज कालीचरन की मृत्यु हो गयी।

11. अभियोजनपक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी मुकदमा शिवानी के पति कालीचरन के ऊपर तेजाब डालकर जलाकर घोर उपहति कारित की, जिसके फलस्वरूप गम्भीर रूप से जलने के कारण दौरान इलाज कालीचरन की मृत्यु हो गयी। तथ्य के साक्षीगण ने घटनाक्रम का समर्थन किया है। अन्य औपचारिक साक्षीगण के बयानों से भी घटनाक्रम की पुष्टि होती है। विवेचक के द्वारा इस प्रकरण की विवेचना की गयी, बयान लिये गये, नक्शानजरी तैयार किया गया और बाद विवेचना साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र प्रेषित किया गया था। संबंधित प्रपत्रों को साबित किया गया है। इस प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से घटना पूर्णरूप से सिद्व होती है। अतः अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्व कर अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

12. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। रंजिशन अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा लिखाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप साबित नहीं होता है। तथ्य के किसी भी साक्षी के बयानों से किसी भी प्रकार से आरोप साबित नहीं होता है। औपचारिक साक्षियों के साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये–

क्रम सं०	पी०डब्लू० संख्या	साक्षी	विवरण
1.	पी०डब्लू०–1	श्रीमती शिवानी	वादिनी मुकदमा
2.	पी०डब्लू०–2	अमित	तथ्य का साक्षी

3.	पी०डब्लू०–3	अंजली	तथ्य की साक्षी
4.	पी०डब्लू०–4	संतोष कुमार मिश्रा	औपचारिक साक्षी
5.	पी०डब्लू०–5	डॉ० ज्ञान प्रकाश शर्मा	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
6.	पी०डब्लू०–6	उपनिरीक्षक राम प्रकाश त्रिपाठी	औपचारिक साक्षी (चिक लेखक)
7.	पी०डब्लू०–7	डॉ० उत्तम कुमार	पोस्टमार्टमकर्ता साक्षी

14. इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये–

क्रम सं०	प्रदर्श संख्या	प्रपत्र	साबितकर्ता/ प्रमाणितकर्ता
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू०–1
2.	प्रदर्श क–2	शव विच्छेदन करने सम्बन्धी पुलिस सूचना प्रपत्र	पी०डब्लू०–4
3.	प्रदर्श क–3	चिकित्सीय आख्या	पी०डब्लू०–5
4.	प्रदर्श क–4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू०–6
5.	प्रदर्श क–5	कायमी जी०डी० कार्बन प्रति	पी०डब्लू०–6
6.	प्रदर्श क–6	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी०डब्लू०–7
7.	प्रदर्श क–7	चिट्ठी सी०एम०ओ०	औपचारिकता स्वीकार
8.	प्रदर्श क–8	नकल रपट दिनांक 06–07–2011	औपचारिकता स्वीकार
9.	प्रदर्श क–9	चिट्ठी आर०आई०	औपचारिकता स्वीकार
10.	प्रदर्श क–10	पंचायतनाता	औपचारिकता स्वीकार
11.	प्रदर्श क–11	नमूना मोहर	औपचारिकता स्वीकार
12.	प्रदर्श क–12	फोटो नाश	औपचारिकता स्वीकार
13.	प्रदर्श क–13	पुलिस फार्म नं०–13	औपचारिकता स्वीकार
14.	प्रदर्श क–14	नक्शा नजरी	औपचारिकता स्वीकार

15. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

– क्या दिनांक 03–06–2011 को समय 12:05 बजे रात स्थान वादिनी का दरवाजा बहद ग्राम झाउपुर, थाना हैदराबाद, जिला खीरी में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी मुकदमा शिवानी के पति कालीचरन के ऊपर तेजाब डालकर जलाकर घोर उपहति कारित की, जिसके फलस्वरूप गम्भीर रूप से जलने के कारण दौरान इलाज कालीचरन की मृत्यु हो गयी ?

16. उक्त अवधार्य बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

17. अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 30–06–11 को समय लगभग 12:05 बजे रात को वादिनी मुकदमा शिवानी के गांव के लेखराम व ओमप्रकाश आये और उसके पति कालीचरन, जो घर के बाहर चारपाई पर लेटे थे, पर लेखराम ने अपने हाथ में लिये हुए प्लास्टिक की पिपिया में तेजाब उसके पति के ऊपर डाल दिया। ओमप्रकाश लाठी लिये हुए खड़ा था।"

18. **साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 श्रीमती शिवानी (वादिनी मुकदमा)** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 13–03–2014 में कथन किया है कि, "घटना आज से लगभग पौने तीन वर्ष पूर्व की है। घटना वाली रात मैं व मेरी पुत्री अंजली व पुत्र अमित घर में अलग कमरे में सो रहे थे। मेरे पति घर में पश्चिम तरफ पड़े छप्पर के नीचे लेटे हुए थे। रात के लगभग 12:00 बजे अपने पति कालीचरन के चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं व मेरे दोनों बच्चे तुरंत उठकर कमरे से बाहर निकले, तो देखा की मुल्जिमान लेखराम पिपिया में तेजाब मेरे पति पर डाल रहा था तथा मुल्जिम ओम प्रकाश, लेखराम के साथ ही मेरे पति के पास लाठी लिए हुए खड़ा था। तब हम लोग देख कर चिल्लाए तब मुल्जिम लेखराम तेजाब डालकर ओमप्रकाश दोनों भाग गए। हम लोगों के शोर पर गांव के बहुत से लोग आ गये। गांव के लोगों ने मेरे पति को थाने ले जाने के लिए सवारी का इंतजाम कर दिया। तब मैंने उक्त घटना की बाबत तहरीर लिखवाकर अपने घायल पति को लादवाकर थाना पर ले गये। जहां पर मेरी रिपोर्ट लिखने के बाद दरोगा जी आ गये, जिन्होंने मुझसे व मेरे पति से पूछताछ की। मेरे पति उस समय होश में थे, जिन्होंने घटना की बाबत सभी बातें बताई थी। फिर मुझे थाने में डॉक्टरी इलाज हेतु मेरे पति को चिकित्सालय सरकारी अस्पताल गोला भेजा गया, फिर गोला से जिला चिकित्सालय इलाज हेतु भेजा गया। डाक्टरी परीक्षण गोला सरकारी अस्पताल में ही हो गया था। मेरे पति तेजाब से गंभीर रूप से जल गए थे, जिस कारण गोला से जिला चिकित्सालय लखीमपुर भेजा गया था। दौरान इलाज मेरे पति तेजाब द्वारा आई चोटों के कारण 6–7 दिन बाद मर गये थे। खत्म होने के बाद सरकारी अस्पताल में पुलिस आई थी, जिसने मेरे पति की लाश सील कर लिखा पढ़ी की थी। लिखा पढ़ी वाले कागज पर मुझसे भी अंगूठा लगवाया गया था, फिर लाश पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। उक्त मुल्जिमानों के घर से इस घटना से पूर्व पायल चोरी हो गई थी। लेखराम वगैराह हम पर शक करते थे, जिस कारण मेरे घर पर लेखराम वगैराह दो–तीन दिन पहले आए थे तथा कहासुनी भी हो गई थी, उसी रंजिश के कारण मुल्जिमानों ने मेरे पति के साथ यह घटना घटित की थी। गवाह को पत्रावली में दाखिल तहरीर कागज संख्या 05 दिखाई गई, पढ़कर सुनाई गई, तो गवाह ने कहा कि यह वही कागज है, जिसे मैंने घटना के संबंध में लिखवाकर अंगूठा लगाकर थाने पर दिया था, जिस पर प्रदश क–1 डाला गया। घटना के समय दरोगा जी ने पूछताछ भी की थी।"

19. **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूं। अंगूठा लगती हूं। तारीख, महीना, सन् की जानकारी मुझे नहीं है। मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है की तहरीर लिखने वाले को मैंने घटना की तारीख लिखायी थी या नहीं। लेखक को घटना की क्या तारीख बताई थी, बता नहीं सकती। हिंदी के महीने में जानती हूं। मैं नहीं बता पाऊंगी की घटना हिंदी के किस महीने की है या किस तिथि की है। प्रश्न–'आपके गांव को जाने वाला मुख्य रास्ता पश्चिम का है या उत्तर दक्षिण का है?' उत्तर–'पूरब पश्चिम दिशा का ज्ञान मुझे नहीं है' (पृष्ठ–4)। मेरा मकान पक्का बना हुआ है। मेरे मकान में दो कमरे बने हैं। किस दिशा के हैं, मुझे ज्ञान नहीं है। मेरे घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है। मेरे मकान की खिड़की जिधर सूरज निकलता है, उधर की तरफ है। मेरे घर के मुख्य दरवाजे की ओर रास्ता भी है, उस रास्ते के सामने गांव झाऊपुर बना है, जिसमें लगभग 50–60 घर बने हुए हैं। मेरे घर के सामने रास्ते के बाद रास्ते के किनारे रामसिंह, बंसी के घर बने हैं। बाकी के घर वालों के नाम नहीं बता सकती। मेरे घर के पीछे भी झाऊपुर गांव बसा है, जिसमें घर बने हैं। मेरे घर के पीछे भी 100–150 घर बने होंगे। घर के पीछे जिनके घर हैं, मैं उसका नाम नहीं बता सकती। मेरा मायका बिहार में है। बिहार से कालीचरन शादी करके लाए थे। शादी के समय कालीचरन की उम्र 50–55 वर्ष होगी। यह बात सही है। यह कहना गलत है कि शादी के वक्त कालीचरन की उम्र 60 वर्ष से ऊपर होगी (पृष्ठ–5)। कालीचरन काफी सीधे–साधे व्यक्ति थे। कालीचरन का मुल्जिमान या गांव के किसी व्यक्ति से घटना से पहले कोई झगड़ा लड़ाई नहीं थी। कालीचरन खेती–

बाड़ी करते थे। कालीचरन के पास 11–12 बीघा जमीन थी। अपनी खेती करने के बाद जो समय बचता था, उसमें मजदूरी भी कर लेते थे। मजदूरी गांव में भी करते थे और गांव के बाहर भी जाते थे। एक भैंस भी मेरे पति कालीचरन पाले हुए थे। भैंस के चारे का इंतजाम कालीचरन स्वयं करते थे। कालीचरन की मां आज भी जीवित है, उनकी उम्र लगभग 80–90 वर्ष होगी। भैंस की सेवा में उनकी मां का हाथ रहता था। कालीचरण की मां आज भी मेरे साथ रह रही है। घटना के समय तीनों बच्चे थे (पृष्ठ–6)। जब मैं घर के बाहर शोर सुनकर निकली थी, तब कालीचरन जले हुए अकेले पड़े थे। वहां पर कोई मौजूद नहीं था (पृष्ठ–7)। थाने पर मैंने गांव वालों के कहने व पुलिस के कहने पर मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा कायम कराया था। तहरीर जो मैंने थाने पर दिया था, वह दरोगा जी के कहने पर सिपाही ने लिखा था। तहरीर पर अंगूठा लगाया था। पढ़कर नहीं सुनाया था। थाने पर रिपोर्ट की कोई नकल नहीं मिली थी। कालीचरन को मैंने किसी को जलाते नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि लोगो के व पुलिस के कहने से मुल्जिमान के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखा था। जो पायल की चोरी हुई थी, वह रामचरन की पत्नी की थी। पायल का लेखराम व ओमप्रकाश का कोई वास्ता नहीं था। घटना के पूर्व लेखराम व ओमप्रकाश का कालीचरन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था (पृष्ठ–9)।"

20. साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 श्रीमती शिवानी, जो कि वादिनी मुकदमा तथा चक्षुदर्शी साक्षी है, ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि, घटना वाली रात वह व उसकी पुत्री अंजली व उसका पुत्र अमित घर में अलग कमरे में सो रहे थे। उसके पति घर में पश्चिम तरफ पड़े छप्पर के नीचे लेटे हुए थे। रात के लगभग 12:00 बजे उसने अपने पति कालीचरन के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह व उसके दोनों बच्चे तुरंत उठकर कमरे से बाहर निकले, तो देखा की मुल्जिमान लेखराम पिपिया में तेजाब उसके पति पर डाल रहा था तथा मुल्जिम ओम प्रकाश, लेखराम के साथ ही मेरे पति के पास लाठी लिए हुए खड़ा था। ये लोग देखकर चिल्लाए तब मुल्जिम लेखराम तेजाब डालकर ओमप्रकाश दोनों भाग गए। जबकि प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–7 पर इस साक्षी ने इसके विपरीत बयान देते हुए कथन किया है कि, "जब मैं घर के बाहर शोर सुनकर निकली थी, तब कालीचरन जले हुए अकेले पड़े थे। वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इस प्रकार यहां महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा बयान में यह स्वीकार किया है कि उसने जब वह अपने पति का शोर सुनकर घर से बाहर आयी तो उसके पति अकेले पड़े थे, वहां पर कोई और मौजूद नहीं था। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–9 पर कथन किया है कि, "कालीचरन को मैंने किसी को जलाते नहीं देखा था।" इस प्रकार उक्त साक्षी जो कि कथित घटनाक्रम की महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी है, के बयानों से स्पष्ट है कि उसके द्वारा अभियुक्त कालीचरन को किसी को जलाते हुए नहीं देखा गया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–9 पर यह भी कथन किया है कि, "जो पायल की चोरी हुई थी, वह रामचरन की पत्नी की थी। पायल का लेखराम व ओमप्रकाश का कोई वास्ता नहीं था। घटना के पूर्व लेखराम व ओमप्रकाश का कालीचरन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा अपने बयानों में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि पायल चोरी सम्बन्धी घटनाक्रम में लेखराम व ओमप्रकाश का कोई वास्ता नहीं था और न ही घटना के पूर्व लेखराम व ओमप्रकाश का उसके पति कालीचरन से कोई लड़ाई झगड़ा था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में कहीं भी ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित होती हो और जिससे अभियोजन को कोई सहायता मिलती हो।

21. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–2 अमित व पी०डब्लू०–3 अंजली ने अपने मौखिक साक्ष्य द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा पक्षद्रोही साक्षी है, जिनके परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

22. **गुड्डूराम बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य,** 2013 (1) सी०सी०एस०सी० पृष्ठ 43 **(सुप्रीम कोर्ट)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के

विचारण पर विधि यह है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य को पूर्ण रूप से केवल इस कारण ही नामंजूर किये जाने की आवश्यकता नहीं है कि वह पक्षद्रोही हो गया है। जैसे भी हो, न्यायालय को उसके परिसाक्ष्य को स्वीकार करने और सम्भव विस्तार तक उसकी सम्पुष्टि की अपेक्षा करने में सावधान होना चाहिए।

23. **करूप्पन्ना थेवर बनाम तमिलनाडु राज्य, (1976)1 एस०सी०सी० पृष्ठ 31** के मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पक्षद्रोही साक्षी का परिसाक्ष्य नामंजूर नहीं किया जा सकेगा।

24. **भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (1976)1 एस०सी०सी० पृष्ठ 389** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया था:–

''किन्तु यह तथ्य कि न्यायालय ने अभियोजन को अपने ही साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दे दी थी, इस प्रकार उसे इस तरह मानते हुए, जो कुछ पक्षद्रोही साक्षी के रूप में वर्णित किया जाता है, उसके साक्ष्य को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करता। साक्ष्य विचारण में ग्राह्य बना रहता है और उसके परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधारित करने के लिए कोई विधि वर्जन नहीं है, यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा उसकी सम्पुष्टि हो जाती है।''

25. उपरोक्त आधारभूत सिद्धान्तों की पुनरावृत्ति **भज्जू बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (2012) 4 एस०सी०सी० पृष्ठ 327 और रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 5 एस०सी०सी० पृष्ठ 777** में की गई है।

26. **सत्य नारायणन बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, 2012 (4) सी०सी०एस०सी० पृष्ठ 2120 (एस०सी०) एवं श्यामल घोष बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ए०आई०आर० 2012 एस०सी० पृष्ठ 3539** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि केवल इस कारण कि साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था, उसके साक्ष्य को पूर्णरूप से नामंजूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य शब्दों में, पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर भी कम से कम उस सीमा तक विश्वास व्यक्त किया जा सकता है, जिस सीमा तक वह अभियोजन मामलें का समर्थन करता था। किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य केवल इस कारण अभिलेख से समाप्त नहीं हो जाता कि वह पक्षद्रोही हो गया है और तब उसके अभिसाक्ष्य की परीक्षा अपेक्षाकृत अधिक सतर्कतापूर्ण ढंग से यह पता लगाने के लिए की जानी चाहिए कि किस सीमा तक उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है।

27. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सर्वजीत तथा अन्य, 2005 इला० द० निर्णय पृष्ठ 511 एवं एस० सुर्दशन रेड्डी तथा अन्य बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश, 2006(2) जे०आई०सी० पृष्ठ 949 (सुप्रीम कोर्ट)** के मामलों में माननीय न्यायालयों ने यह अवधारित किया है कि ''एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या'' का सिद्धान्त भारतवर्ष में लागू नहीं होता है।

28. उपरोक्त विधि व्यवस्था में दिये गये दिशानिर्देश के आलोक में न्यायालय अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 अमित व पी०डब्लू०–3 अंजली का अन्य के साथ सतर्कतापूर्वक विश्लेषण करना न्यायोचित समझती है।

29. **साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 अमित** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 23–04–2015 में कथन किया है कि, "घटना आज से लगभग पौने चार वर्ष पहले रात्र करीब 12 बजे की है। घटना वाली रात मेरे पिता कालीचरन के चिल्लाने पर मैं मेरी बहन अंजली और मेरी मां शिवानी भाग कर पिता जी के पास पहुंचे, तो देखा कि मेरे पिता जी काफी जली हुई दशा में पड़े है और कुछ बोल नहीं पा रहे है। मैंने किसी को पिता के ऊपर तेजाब डालते नहीं देखा। घटना के समय मैंने मुल्जिमान लेखराम, ओमप्रकाश को भी नहीं देखा।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

30. न्यायालय की अनुमति से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "इस घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। गवाह ने उसका बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने

कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, मैं वजह नहीं बता सकता हूं। रामचरन, लेखराम के चाचा है। मुल्जिम ओमप्रकाश लेखराम के चचेरे भाई है। मुझे जानकारी नहीं है कि घटना से पहले रामचरन की औरत की पायल खो गयी हो। यह कहना गलत है कि रामचरन की औरत को शक हो कि उसकी पायल मेरी मां के पास हो। इसी बात पर कहासुनी हुई हो। इसी बात पर मुल्जिमान ने तेजाब डालकर मेरे पिता जी की हत्या कर दी हो। यह भी कहना गलत है कि मैने मुल्जिमान से सुलह कर ली हो, इसी कारण आज सही बात नहीं बता रहा हूं।"

31. बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मेरे परिवार की मुल्जिम लेखराम व ओमप्रकाश से घटना के पहले से कोई रंजिश नहीं थी, न ही कोई आज रंजिश है। रामचरन या उसकी औरत से घटना के पूर्व मेरी मां के ऊपर पायल चोरी का कोई आदेश लगाया था, न ही पायल चोरी के सम्बन्ध में कोई शिकवा या शिकायत थी। मेरे पिता जी घर के बाहर छप्पर के नीचे अकेले सोये थे। मैं व मेरी मां व मेरी बहन सभी लोग घर के अन्दर दरवाजा बन्द करके लेटे थे। सुबह 4 बजे मेरी मां व मैं जगा। घर के बाहर दरवाजा खोलकर बाथरूम के लिये निकला तब देखा कि पिता जी जले पड़े है। पिताजी पर तेजाब डालते मैंने किसी को नहीं देखा था। पिता जी का मुंह ज्यादा जला था, कि वह बोल नहीं पा रहे थे। तुरन्त मैं व मेरी मां, पिताजी को उठाकर अस्पताल ले गये थे। थाने नहीं ले गया था। आज जो मैंने बयान दिया है, वह अपनी स्वेच्छा से सही बात बतायी है। किसी डर व लालच में बयान नहीं दिया है।"

32. साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 अमित ने मुख्य परीक्षा बयान में कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इंकार करते हुए कथन किया है कि उसने किसी को पिता के ऊपर तेजाब डालते नहीं देखा तथा घटना के समय उसने मुल्जिमान लेखराम, ओमप्रकाश को भी नहीं देखा। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० से इंकार करते हुए कथन किया है कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मेरे परिवार की मुल्जिम लेखराम व ओमप्रकाश से घटना के पहले से कोई रंजिश नहीं थी, न ही कोई आज रंजिश है। पिताजी पर तेजाब डालते मैंने किसी को नहीं देखा था।" इस प्रकार यहां महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षी ने अपने बयान में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा उसके पिता पर तेजाब डालते हुए किसी को नहीं देखा गया और यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके परिवार की मुल्जिम लेखराम व ओमप्रकाश से घटना के पहले से न कोई रंजिश थी, न ही अभी कोई रंजिश है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित होती हो।

33. **साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 अंजली** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 13–09–2017 में कथन किया है कि, "मेरे पिताजी पर किसी ने तेजाब फेंक दिया था। शोरगुल सुनकर मैं भी घटना स्थल पर पहुंची थी। घटना के समय मैं अपने कमरे में थी। मेरे पिता जी पर किसने तेजाब डाला , मैंने नहीं देखा था। मैंने घटना स्थल पर लेखराम व ओम प्रकाश को नहीं देखा था और न ही मैंने दोनों लोगो को घटना स्थल से भागते हुए देखा था।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घषित किया गया।

34. न्यायालय की अनुमति से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। सा0ी को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो उसने कहा कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी बजन नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त को बचाने की नियत से झूठी गवाही दे रही हूं।'

35. बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "ओमप्रकाश व लेखराम को मैं पहले से जानती पहचानती हूं। घटना के समय वह वहां मौजूद नहीं थे।"

36. साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 अंजली ने मुख्य परीक्षा बयान में कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इंकार करते हुए कथन किया है कि उसके पिता जी पर किसने तेजाब डाला , उसने नहीं देखा था। उसने घटना स्थल पर लेखराम व ओम प्रकाश को नहीं देखा था और न ही उसने दोनों लोगो को घटना स्थल से भागते हुए देखा था। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० से इंकार करते हुए कथन किया है कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकती। बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "ओमप्रकाश व लेखराम को मैं पहले से जानती पहचानती हूं। घटना के समय वह वहां मौजूद नहीं थे। इस प्रकार यहां महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षी ने अपने बयान में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तगण ओमप्रकाश व लेखराम घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में भी ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता पायी जाती हो तथा जिससे अभियोजन को कोई सहायता मिलती हो।

37. **साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० सन्तोष कुमार मिश्रा** (जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी) ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 28–01–2020 में कथन किया है कि, "दिनांक 06–07–2011 को जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा था। उस दिन सुबह 09 बजकर 15 मिनट पर बर्न वार्ड में कालीचरन की मृत्यु हुयी थी। जिनका शव मैंने स्वयं शवगृह में रखवाकर शव के निस्तारण के लिये पुलिस को सूचना दि० 06–07–2011 को भेजी थी। मैंने जिसका पी०एम० (शव विच्छेदन) डॉ० उत्तम कुमार निश्चेतक जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी ने किया था। पुलिस सूचना प्रपत्र शामिल पत्रावली में है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।"

38. **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मृतक कालीचरन का मैंने न ही चिकित्सीय परीक्षण किया और न ही शव विच्छेदन किया। सिर्फ कालीचरन की मौत की सूचना मैंने पुलिस को भेजा था। पुलिस सूचना प्रदर्श क–2 पर कालीचरन का दुर्घटना से जलना अंकित है।"

39. साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 डॉ० सन्तोष कुमार मिश्रा, जो कि कथित घटनाक्रम का औपचारिक साक्षी है, जिसने मुख्य परीक्षा में मृतक कालीचरन के मृत्यु की सूचना सम्बन्धित थाने पर दिये जाने का कथन करते हुए पुलिस सूचना प्रपत्र को साबित किया गया है तथा प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि, "मृतक कालीचरन का मैंने न ही चिकित्सीय परीक्षण किया और न ही शव विच्छेदन किया। सिर्फ कालीचरन की मौत की सूचना मैंने पुलिस को भेजा था।" इस प्रकार उक्त औपचारिक साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता पर कोई प्रकाश पड़ता हो।

40. **साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 डॉ० ज्ञान प्रकाश शर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 29–04–2022 में कथन किया है कि, "मैं दिनांक 30–06–2011 को मैं चिकित्साधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोला में तैना था। उस दिन सुबह 03 बजकर 40 मिनट पर मैने कालीचरन पुत्र शम्भू उम्र लगभग 60 वर्ष पुरूष निवासी जहानपुर थाना हैदराबाद जिला खीरी के शरीर पर आयी चोटो का मुआयना किया था। जिसे होमगार्ड 766 शिवशरन सिंह थाना हैदराबाद जिला खीरी से लाया गया था। मजरूब के शरीर पर पीछे पीछ पर Lumbar क्षेत्र पर एक तिल पाया गया था। शरीर पर निम्न चोटें थी– गहरे जले हुए घाव एवं खाल का उधड़ जाना कई स्थानों पर पाया गया, जो निम्न स्थान है–1–पूरे चेहरे पर। 2–छाती में आगे की तरफ थोड़ा बायी तरफ। 3–छाती में पीछे की तरफ थोड़ा बायीं तरफ। 4–पीठ में दोनो कूल्हों तक। 5–बाये बांह में जो कि आंशिक रूप से अग्र बाहु तक जा रहा था। 6– आंशिक रूप से दाहिनी बांह तक। 8– बायी जांघ में। मेरी राय में सारी चोटे तेबाज के शरीर पर पड़ने की वजह से थी, जो

कि गम्भीर प्रकृति की थी एवं ताजी थी। ताजी अवधि की थी। मजरूब का निशानी अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है तथा चोट की रिपोर्ट भी मेरे द्वारा लिखी गयी है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। चिकित्सीय आख्या शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।"

41. **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मेरे अस्पताल में जब मरीज लाया गया था, तब चोटें ताजा थी। पुरानी नहीं थी। चोटें जहां–जहां पायी गयी थी। वह स्थान का जिक्र रिपोर्ट में दर्ज है। चोटें पूरे शरीर में नहीं थी। चोटे एसिड से जलने की वजह से आयी थी। ऐसी चोटे अन्य किसी वजह से नहीं आ सकती। यह कहना गलत है कि चोटें 02–03 दिन पुरानी हो। चोटे तेजाब से जलने की वजह से आयी थी।"

42. साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 डॉ० ज्ञान प्रकाश शर्मा, जो कि मेडिकल परीक्षणकर्ता साक्षी है, ने मुख्य परीक्षा बयान में मृतक कालीचरन की चोटो का मुआइना करते हुए कथन किया है कि सारी चोटे तेबाज के शरीर पर पड़ने की वजह से थी, जो कि गम्भीर प्रकृति की थी एवं ताजी थी। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि चोटे एसिड से जलने की वजह से आयी थी तथा ऐसी चोटे अन्य किसी वजह से नहीं आ सकती है। परन्तु जैसा की पूर्व में किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नहीं पायी गयी है, तो ऐसी स्थिति में उक्त औपचारिक साक्षी के साक्ष्य मात्र से मुख्य घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नहीं होता है और न ही अभियोजन कोई सहायता नहीं मिलती है।

43. **साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 उपनिरीक्षक राम प्रकाश त्रिपाठी** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 12–09–2024 में कथन किया है कि, "दिनांक 30–06–2011 थाना हैदराबाद में हेड मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उसी दिनांक को शिवानी पत्नी कालीचरन के द्वारा एक हस्तलिखित तहरीर दी गयी, जिसके आधार पर चिक संख्या 107/11 मेरे द्वारा किता की गयी। जिक मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। जिसकी कायमी रपट नं०–6 समय 02:30 बजे दिनांक 30–06–2011 को मेरे द्वारा किता की गयी थी। जिसकी कार्बन प्रति शामिल पत्रावली है। मेरे लेख व हस्ताक्षर मैं है, जिसको आज मैं तस्दीक करता हूं। इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।"

44. **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "वादिनी शिवानी पढ़ी–लिखी नहीं थी। अंगूठा लगाती थी। तहरीर कहां से लिखाकर लायी थी, मुझे नहीं पता। तहरीर लेखक का नाम भी तहरीर पर नहीं पड़ा है। शिवानी रात को करीब 02:30 बजे शिवानी थाने आयी थी। तहरीर के आधार पर मैंने चिक किता किया था। किसी अधिकारी के आदेश से चिक किता नहीं किया था, बल्कि स्वयं मैंने चिक किता किया था। चिक रिपोर्ट का कॉलम नं०–3 (पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन) का है, इस कॉलम में कोई दिन व दिनांक अंकित नहीं है। सिर्फ डाक द्वारा लिखा गया है। चिक रिपोर्ट पर चिक रिपोर्ट सी०ओ० कार्यालय भेजे जाने का तारीख व दिन का उल्लेख नहीं है। चिक रिपोर्ट पर भी वादिनी का निशानी अंगूठा नहीं लगा है। अन्त में भी नहीं लगा है। सी०ओ० कार्यालय से चिक रिपोर्ट न्यायालय कब भेजी गयी, मुझे जानकारी नहीं है। सी०ओ० के हस्ताक्षर के नीचे तारीख 03–03–11 अंकित है, मैं यह नहीं बता सकता हूं। गवाह ने मूल चिक देखकर बताया कि चिक रिपोर्ट न्यायालय द्वारा Seen भी नहीं की गयी है। इस बात की मुझे बाखूबी जानकारी है कि चिक रिपोर्ट थाने से 24 घण्टे के अन्दर माननीय न्यायालय को भेज देनी चाहिए। वादिनी की तहरीर पर वादिनी द्वारा अभियुक्त का नाम लेखराम पुत्र सन्तराम सक्सेना दिया था, मैंने भी चिक रिपोर्ट पर लेखराम पुत्र सन्तराम लिखा है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा उक्त मुकदमें की चिक रिपोर्ट दिनांक 30–06–2011 समय 02:30 पर अंकित न की गयी हो। यह कहना गलत है कि कॉलम नं०–3 में दिन व दिनांक अंकित नहीं है। यह कहना भी गलत है कि वादिनी तहरीर लेकर थाने न गयी हो, यह कहना भी गलत है कि इसी कारण से उसका निशानी अंगूठा चिक रिपोर्ट पर न लगा हो। इस मुकदमें की मूल जी०डी० आज न्यायालय में मेरे सामक्ष नहीं है, मुझे ध्यान

नहीं है कि चिक रिपोर्ट पहले अंकित की गयी थी या जी०डी०। चिक रिपोर्ट पर व जी०डी० पर मुकदमें लिखे जाने का समय एक ही पड़ा है। यह कहना गलत है कि थाने की जी०डी० दो तीन दिन रूकी रहती है और अधिकारियों के दबाव में पिछली तारीख में अंकित किया गया हो।"

45. साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 उपनिरीक्षक राम प्रकाश त्रिपाठी एक औपचारिक साक्षी व एफ०आई०आर० लेखक है, जिसके द्वारा मुख्य परीक्षा बयान में स्वयं द्वारा किता की गई चिक एफ०आई०आर० व कायमी जी०डी० को साबित किया गया है। प्रतिपरीक्षा में कोई उल्लेखनीय बयान नहीं आया है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि जैसा कि पूर्व में किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नहीं पायी गयी है, तो ऐसी स्थिति में उक्त औपचारिक साक्षी के साक्ष्य मात्र से मुख्य घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नहीं होता है और न ही अभियोजन कोई सहायता नहीं मिलती है।

46. **साक्षी पी०डब्ल्यू०–7 डॉ० उत्तम कुमार निश्चेतक** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 12–01–2026 में कथन किया है कि, "मैं दिनांक 06–07–11 को जिला चिकित्सालय खीरी में तैनात था। उस दिन मैंने कालीचरन पुत्र शम्भू दयाल निवासी झाउपुर थाना हैदराबाद, जिला खीरी उम्र लगभग 60 वर्ष का पोस्टमार्टम किया था, जिसे कां० शिव प्रसाद यादव थाना कोतवाली सदर खीरी सील बंद और मोहर लगी हुयी लेकर आये थे और मेरे सामे बॉडी खोली गयी। मृतक की मृत्यु जिला अस्पताल खीरी में 09:15 am पर दिनांक 06–07–11 को हुयी थी। जैसा कि मृत के साथ पत्रों में लिखा था। मृतक एवरेज मध्यम कद काठी का वृद्ध व्यक्ति था। हांथ और पांव में रिगर मार्टिस प्रेजेन्ट थी तथा शव के पिछले भाग पर PM स्टेनिंग प्रेजेन्ट थी। मृत्यु पूर्व मृतक के शरीर पर आयी चोटें, मृतक के पूरे शरीर पर एसिड बर्न प्रेजेन्ट था, हेड, केस दोनों आँखे, नाक, गर्दन, सीना, पेट, पूरा बांया व दायां हाथ और सामने से बायी जांघ, त्वचा, काली/ ब्राउन थी, सख्त थी। सब वुटेनियस हार्ड था। हड्डिया और कार्टिलेज, लेयरिंग्स, पेरी कार्डियम, हृदय लार्ज बेसेल, पेरीटोनियम, कैविटी, मूत्राशय, सामान्य थे तथा प्लूरा ट्रैकिया, फेफड़ा, और यकृत स्पलीन (तिल्ली) गुर्दा कन्जेस्टेड थे। मेरी राय में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी एसिड बर्न इंजरी थी। साथ आये कांस्टेबल को शव से प्राप्त वस्तुओं व एक सील लिफाफा वापस दिया गया था। शव लाने वाले कांस्टेबल ने शव विच्छेदन से पूर्व मृतक की शिनाख्त की थी। PM रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।"

47. **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मृतक के शरीर पर बर्न इंजरी के अलावा अन्य कोई इंजरी नहीं थी। एसिड बर्न इंजरी कितनी पुरानी थी, यह मैं नहीं बता सकता। किस दिन, तारीख व समय उक्त एसिड बर्न इंजरी मृतक के शरीर पर आयी होगी, यह मैं नहीं बता सकता।"

48. साक्षी पी०डब्ल्यू०–7 डॉ० उत्तम कुमार निश्चेतक, जो कि एक औपचारिक साक्षी तथा पोस्टमार्टमकर्ता साक्षी है, जिसने मुख्य परीक्षा बयान में मृतक कालीचरन के शव विच्छेदन आख्या को साबित किया है तथा प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि मृतक के शरीर पर बर्न इंजरी के अलावा अन्य कोई इंजरी नहीं थी। एसिड बर्न इंजरी कितनी पुरानी थी तथा किस दिन, तारीख व समय उक्त एसिड बर्न इंजरी मृतक के शरीर पर आयी होगी, वह यह नहीं बता सकता है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि जैसा कि पूर्व में किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नहीं पायी गयी है, तो ऐसी स्थिति में उक्त औपचारिक साक्षी के साक्ष्य मात्र से मुख्य घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नहीं होता है और न ही अभियोजन कोई सहायता नहीं मिलती है।

49. जहां तक अभियुक्तगण की ओर से अन्य अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को औपचारिक रूप से स्वीकार किये जाने का सम्बन्ध है, तो पूर्वोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए मात्र अभियोजन प्रपत्रों

की औपचारिक स्वीकृति के आधार पर घटनाक्रम अथवा उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

50. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजनपक्ष उक्त अवधार्य बिन्दुओं को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। तद्नुसार उक्त अवधार्य बिंदु निर्णीत किया जाता है।

51. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजनपक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल नहीं रहा है कि दिनांक 03–06–2011 को समय 12:05 बजे रात स्थान वादिनी का दरवाजा बहद ग्राम झाउपुर, थाना हैदराबाद, जिला खीरी में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी मुकदमा शिवानी के पति कालीचरन के ऊपर तेजाब डालकर जलाकर घोर उपहति कारित की हो, जिसके फलस्वरूप गम्भीर रूप से जलने के कारण दौरान इलाज कालीचरन की मृत्यु हो गयी हो। अतः अभियुक्तगण लेखराम व ओम प्रकाश अपने विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–304/34, 326/34 भा०दं०सं० में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

52. अभियुक्तगण लेखराम व ओम प्रकाश को सत्र परीक्षण सं०–36/2012, मु०अ०सं०–884/2011, थाना हैदराबाद में आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–304/34, 326/34 भा०दं०सं० में दोषमुक्त किया जाता है।

53. अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

54. अभियुक्तगण द्वारा धारा 437–A दं०प्र०सं० (481 बी०एन०एस०एस०) के अनुपालन में दाखिल निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन अथवा मियाद अपील, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेंगे।

55. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा–365 (406 बी०एन०एस०एस०) के प्राविधानों के तहत इस निर्णय की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर–खीरी को प्रेषित की जाए।

दिनांक–10.07.2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।
जे०ओ० कोड UP–1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–10.07.2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।
जे०ओ० कोड UP–1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.10 17:16:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court